

482

477



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : c9060f420d05c7867318

Receipt Date : 16-Aug-2022 12:39:54 pm

Receipt Amount : 21600/-

Amount In Words : Twenty One Thousands Six Hundred Rupees Only


Token Number : 20220000100173

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : DAMIAN ROSHAN KULLU (Vendee)

GRN Number : 2212807522



-: For Office Use :-



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूरा है कि
 प्रकार का सेवा नहीं ली गई है।
 Damian Roshan Kullu
 20/08/2022



लोक प्र व काकास वस माध्याम
लेख्यकारी परिशिष्ट
.....
व्य: भारतीय स्टाप प्रावधि
प्रतिबन्धन स्टाप (क्र. 1899 की धारा
का 1 क संख्या
प्रतिबन्धन स्टाप
क्रि (का स्टाप मूलक व विव व
संख्या सुक संकेतित नही।)

Fee Paid
A1 16,200/-
Land Lord Fee 05/-
Process Fee 01/-

20.8.22

Valuation Per Decimals
Land 60,000/-

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि
की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

विक्रय पत्र

परमिशन वाद संख्या 590/2021-22 आदेश दिनांक 22.03.2022

(1) लेख्यकारी:- श्री पात्रिक मिंज उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 मिखाईल मिंज,
दादा स्व0 इलियस उरॉव, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट
1908 के अन्तर्गत आते हैं), पेशा- खेती गृहस्थी, निवास ग्राम- गोतरा
कुबीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य- झारखण्ड, राष्ट्रीयता
भारतीय नागरिक।

मो0 नं0 6200967891 आधार संख्या XXXX XXXX 3249
पैन नं0 ई.यू.एक्स.पी.एम. 8487 जी.

... विक्रेता।

शपथ-पत्र संख्या:- 316/2022

होलिडिंग नं0 0050000646000 एम. 0

मूल पहचान पत्र एवं अन्य
प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से
मिलान किया गया।



पात्रिक मिंज
16/8/2022

उमिन कुल पिता अभुसुस कुल
गांठ कुली संगी वामा सिमडेगा

सिमडेगा
16/8/2022



पत्रिक मित्र

16.08.2022

20.08.2022



कनिष्ठ

अनामिका

मध्यमा

तर्जनी

अंगुठा

20-08-2022

पत्रिक मित्र
 अनामिका
 मध्यमा
 तर्जनी
 अंगुठा



Handwritten signature and date: 20-8-22

(2) लेख्यधारीगण:- (1) श्री दमियन रोशन कुल्लू उम्र 32 वर्ष वो (2) श्री रवि कोसमस कुल्लू उम्र 32 वर्ष, दोनों पिता श्री मरियानुस कुल्लू, दादा स्व० मतियस कुल्लू, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आते हैं) पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- कसाईदोहर लेटा टोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक,

मो० नं० (1) 8102534141 आधार संख्या (1) XXXX XXXX 9804

मो० नं० (2) 8969117375 आधार संख्या (1) XXXX XXXX 2660

पैन नं० (1) डी.क्यू.आई.पी.के.7163 पी. (2) डी.यू.ए.पी.के. 9125 एफ.

..... केतागण ।

शपथ-पत्र संख्या:- 317, 318/2022

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिंग पॉच लाख चालीस हजार रूपये अंके 5,40,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पत्ति:- संरचना रहित आवासीय जमीन एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा डिप्टीटोली, वार्ड नं० 05, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 256 (दो सौ छप्पन) प्लॉट नं० 5183 (एकावन सौ तिरासी) रकबा 0.89 एकड़ में से 0.09 एकड़ (नौ डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है, और न ही पेड़ पौधा है । जमीन का माप- उत्तर की ओर- पूरब से पश्चिम- 50 फीट, दक्षिण की ओर- पूरब से पश्चिम- 50 फीट, पूरब की ओर उत्तर से दक्षिण- 76 फीट, पश्चिम की ओर- उत्तर से दक्षिण- 82 फीट है ।

श्रीम. सिमर दामिनिपिहात्मव्यय पत्रिक मित्र
श्रीम. एवरा नाना-+ सिमडेगा 17/6/8/2022
16/8/2022

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	256	5183	0.09 एकड़

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- चौरा इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता (अन्य रास्ता),

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- अनुज किण्डो का मकान ।

मालगुजारी 1.00 रुपैया (एक रुपैया) अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, दान, बंधक, लीज, एकरारनामा नहीं किया हूँ ।

चूँकि मुझ लेख्यकारी को इस समय मकान बनाने एवं आवश्यक घरेलू खर्च हेतु रुपये की अति आवश्यकता है किन्तु रुपये पाने का कोई भिन्न उपाय नहीं है सिवाय जमीन रैयती बेचने के । फलतः मैंने उपरोक्त लेख्यधारीगण से मेरी जमीन खरीदने का आग्रह किया और उन्होंने जमीन लेना स्वीकार किया । किन्तु हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, फलतः मैंने जमीन बेचने की अनुमति हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के अदालत में अन्दर दफा 46 छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया । जिसका सी.एन. टी. नं० 590/2021-22 है । तदनुसार मेमो नं० 463 (11) रेवेन्यु दिनांक 22.03.2022 ई० को जमीन बेचने का अनुमति प्राप्त हुआ । मैंने वर्णित मूल्य नगद वसूल वो अदाय पाकर अपनी मन इच्छा वो शरीर की स्वस्थता में रहकर यह रहकर यह विक्रय पत्र केवाला लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद हक एवं दखल कब्जा है तथा किसी प्रकार का कोई भार या झगड़ा झंझट नहीं है । वर्णित जमीन के खतियानी रैयत सुखनाथ उराँव वो बुधु उराँव वो

पानिक सिज
16/8/2022

बन्धु उरॉव वो बिरसा उरॉव पेशरान कोका उरॉव हैं । वर्तमान जमाबंदीदार चम्पु उराईन → के नाम से दर्ज है, खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है । तथा सरकारी मालगुजारी रसीद भी चम्पु उराईन के नाम से कटती है जो पंजी 11 के भोल्युम नं0 2 पेज नं0 103 में दर्ज है । बिक्रेता जमाबन्दीदार चम्पु उराईन का परपोता है । अब से उक्त जमीन का सारा हक लेख्यधारिणी को हस्तान्तरित कर दिया । अब इसपर मेरा किसी प्रकार का कोई हक सरोकार न रहा न रहेगा न ही मेरे किसी भी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी खरीदगी जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर जैसा उन्हें सुविधा हो आबाद करें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जमीन्दारी सिरिस्ते से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर खास रसीद लिया करें ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लिज, भु-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/-

पलिक मिज

16.08.2022

पलिक मिज
16/8/2022



कनिष्ठ

अनामिका

मध्यमा

तर्जनी

अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है बिक्रेता के द्वारा हक के पंजी
अंगुलिओं का छाप भर सप्दा लिखा जाता


देवेंद्र नाग

आधिकारी


16.08.2022 .

हमलोग लेख्यधारी यह घोषणा करते हैं कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही / - Amian Robhan Kully
16.08.2022



पतिक मित्र
16/8/2022




कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि केता के कारण एच के पंचों अंगुलियों का क्षय भरे समझ लिया गया।

देवेन्द्र नाग
अधिवक्ता
16.08.2022

सही / - Ravi Kosmas Kully
16.08.2022



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि केता के कारण एच के पंचों अंगुलियों का क्षय भरे समझ लिया गया।

देवेन्द्र नाग
अधिवक्ता
16.08.2022

पहचानकर्ता का सही/-

0
डा. रवि कुमार
16.08.2022.



कनिष्ठ

अनामिका

मध्यमा

तर्जनी

अंगुठा



प्रमाणित किया जाता है कि पहचान जवाब दे लाने हेतु
दो पान्चों अंगुलियों का छाप भरे समकाल लिया गया।

देवेन्द्र नाग
अधिवक्ता
16.08.2022.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार
किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे
उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- देवेन्द्र नाग अधिवक्ता
प्रारूपकर्ता 16.08.2022 .

पतिक मित्र
16/8/2022

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
16-8-2022

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
2. खतियान का छायाप्रति,
3. बिक्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
4. क्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
5. शेड्यूल का मूल प्रति,
6. आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
7. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
8. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
9. होल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

पतिक मित्र
20/8/22

पतिक मित्र
16/8/2022